सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आषाढ़ 20, गुरूवार, *शाके 1946*-जुलाई 11, *2024*	
Asadha 20, Thursday, Saka 1946- July 11, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 8, 2024

संख्या:05/भू.अ./ज.स./2022/1318-1322:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कालीखार लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत दांयी मुख्य नहर की माईनर 3,4,5,6 के शेष रहे खसरों की भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी जल संसाधन खण्ड, अकलेरा को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (जल संसाधन वृत, झालावाड़) होगे।

-: विवरण:-

कालीखार लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत दांयी मुख्य नहर की माईनर 03, 04, 05, 06 के शेष रहे खसरों की भूमि अवाप्त की जाने वाली भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत् प्रस्ताव जिला झालावाड़।

क्र. स.	परियोजना का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी का नाम
1	कालीखार लघु सिंचाई परियोजना	ठीकरिया रामपुरिया उर्फ गावड़ी जेतपुरा मनोहरथाना	ठीकरिया ठीकरिया ठीकरिया मनोहरथाना	मनोहरथाना	झालावाड़	भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन वृत, झालावाड़

फार्म -2

(देखें नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :-

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड अकलेरा
	प्रस्तावित परियोजना का सक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	कालीखार लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत दांयी मुख्य नहर की माईनर 03, 04, 05, 06 के शेष रहे खसरों की भूमि अवाप्त हेतु।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (i)परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नही है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिदिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ड)	इस अवधि के दौरान इस आश्य का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	हॉ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने सम्बन्धी जानकारी।	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड अकलेरा

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।